

क्रमांक: एफ 9 (5)(12-II) सासुपे नियम/सान्याअवि/2021-22/ 2864

जयपुर दिनांक: 28-03-2023

### आदेश

वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनु. सं. 67 (III) की अनुपालना में 75 वर्ष से कम आयु के सभी वर्ग के पेंशनर्स को प्रति माह देय राशि को बढ़ाकर न्यूनतम राशि रूपयें 1000 प्रति माह तथा बजट घोषणा संख्या 298 के अनुसार सभी आयु वर्ग के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर्स को प्रति माह देय पेंशन राशि को बढ़ाकर राशि रूपयें 2500 प्रति माह किये जाने की घोषणा की गई है।

अतः राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अध्याय-1 के नियम-3 का उपनियम (iv) को निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है :-

**नियम-3 (iv)**- पेंशन की राशि से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है, जो निम्नानुसार है -

#### विशेष योग्यजन पेंशन -

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को            | रु. 1000 प्रति माह |
| 2. 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को    | रु. 1250 प्रति माह |
| 3. सभी आयु वर्ग के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर्स को | रु. 2500 प्रति माह |

यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राईवेट निकाय/संस्था या अन्य स्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकार होगा।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 162300430 दिनांक 21.03.2023 से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते हैं।

उक्त संशोधन/प्रतिस्थान आदेश दिनांक 01.05.2023 से प्रभावी होगा। इसका तात्पर्य माह मई 2023 की पेंशन का भुगतान बढ़ी हुई दरों से माह जून 2023 में देय पेंशन राशि से है।

(डॉ. समित शर्मा)  
शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Samit Sharma  
Designation: Secretary-To  
Government  
Date: 2023.03.28 10:23:39 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3498027





क्रमांक :-एफ.9(05)(12-II)सासुपें नियम/सान्याअवि/2021-22/2665-2782 जयपुर दिनांक 28/03/2023  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
9. अतिरिक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
10. वरिष्ठ निदेशक, (तकनीकी) एनआईसी वित्त भवन जयपुर।
11. उप निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कंप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
12. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Sanjit Sharma  
Designation: Secretary To  
Government  
Date: 2023.03.28 10:23:39 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3498027

